


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०पदा०)-06/2016 4831 /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-1029 दिनांक-21.08.18 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री रवि रंजन कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बांका को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बांका का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(भरत झा)
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-06/2016 4831 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-07/09/18
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/श्री रवि रंजन कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बांका/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बांका/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-विशेष सचिव।